संख्या 74 /XV-1/18/1(6)2010

प्रेषक,

अर०मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 25 जनवरी, 2018

विषय अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत पशु सेवा केन्द्रो के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3951 /नि०–5 /एक(25) /भ०नि०(अ०आ०) /2017–18 दिनांक 01 नवम्बर, 2017 एवं पत्र संख्या–4861/नि–5/एक(25)/अ.आ/2017–18 दिनांक 29 दिसम्बर 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत 05 पशुसेवा केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु टी०ए०सी०, द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹133.85 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 मे प्रथम चरण में अवमुक्त धनराशि ₹53.528 (40%) धनराशि को कम करते हुए योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹150.00 लाख (₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष ₹80.322 लाख (अस्सी लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद	संस्था का नाम	TAC द्वारा अनुमोदित धनराशि	प्रथम चरण में 40 प्रतिशत अवमुक्त धनराशि	60 प्रतिशत धनराशि जिसे अवमुक्त किया जाना है।
1	अल्मोड़ा	पशुसेवा, बड़ियारबिष्ट स्थित बसन्तपुर	27.52	11.008	16.512
2	पिथौरागढ़	पशुसेवा केन्द्र सिम्लता	26.65	10.66	15.99
3	हरिद्वार	पशुसेवा केन्द्र, मेक्कमपुर–जीतपुर	26.56	10.62	15.94
4	हरिद्वार	पशुसेवा केन्द्र, सिकन्दरपुर–भैस्वाल	26.56	10.62	15.94
5	हरिद्वार	पशुसेवा केन्द्र, ढंढेरा स्थित आसफनगर	26.56	10.62	15.94
		योग–	133.85	53.528	80.322

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें सज्जनी की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो०नि०वि० द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें

(4) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(5) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओ हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्रावधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्रावधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।

(7) कार्यदायी संस्था के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के निर्धारित प्रारूप पर एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित करवाया जाए एवं निर्धारित एम०ओ०यू० के अनुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराया जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XCV-219(2006)/ 30.05 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(10) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(11) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाए तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(12) स्वीकृत निर्माण कार्य को तत्काल प्रारम्भ किया जाए। निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाए।

(13) निर्माण कार्य की निर्धारित मानको से कम गुणवत्ता व उपयुक्तता एवं धनराशि का दुरूपयोग/दोहरीकरण एवं वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यदायी संस्था के साथ विभागाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(14) संबंधित निर्माण कार्यो के फोटोग्राफस प्रतिहस्ताक्षरोपरांत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–60–131–पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य–10–पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रो के स्वयं निर्माण–24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(आर०मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्याः 86 (1) / XV-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०एम०मिश्र)
अपर सचिव